जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/1539 दिनांकः 18-02-2015

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

विषयः- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा चयन किये गये शिक्षक/ स्टाफ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा शिक्षक/ स्टाफ की नियुक्ति करा ली हो और कार्य परिषद से अनुमोदन नही कराया हो तो उनके बायोडाटा चयन समिति के पत्र लगाकर शीघ्र भेजें जिससे कमियों की पूर्ति कराकर प्रकरण कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जा सकें। कार्यपरिषद से नियुक्ति का अनुमोदन होने के उपरांत ही शिक्षक/ स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत मान्य होती है अन्यथा नही।

जिन शिक्षक/ स्टाफ का चयन समिति से चयन-पत्र में दो वर्ष की शर्त पी.एच.डी./नेट/स्लेट करने की लगाई है और यदि उन्होने दो वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उक्त योग्यता उत्तीर्ण कर ली है, उनके प्रमाणपत्र मय बायोडाटा के विश्वविद्यालय कार्यालय में शीघ्र भेजें जिससे उनके प्रकरणों में पूर्तियां कराकर कार्यपरिषद की ओर भेज कर अनुमोदन कराया जा सके।

भवदीय
कुलसचिव